न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 106 / 2018	10–09–2018	15–10–2018

1–अविनाश उम्र करीब 16 साल नाबालिग पुत्र स्व. श्री श्योचन्द स्वामी जरिये सरपरस्त माता श्रीमति किरण देवी स्वामी पत्नी स्व0 श्री श्योचन्द जाति स्वामी निवासी हाल वार्ड नम्बर 1, सामूदायिक भवन के पास, डी–ब्लॉक, बुध विहार, अलवर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार भू0अ0, अलवर।

रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 05.06.2017 नामान्तकरण संख्या 2233 ग्राम अलवर नं0 1, तहसील व जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री जितेन्द्र शर्मा –वकील अपीलान्टस

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 05.06.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 2233 ग्राम अलवर नं0 1 तहसील व जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांट को पूर्व में उक्त आज्ञा तहसीलदार भू0अ0, अलवर द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 05.06.2017 नामान्तरकरण संख्या 2233 की कोई जानकारी नहीं थी, क्योकि उक्त आज्ञा रैस्पो0 द्वारा मिन अपीलांट की गैर–हाजरी में पारित किया गया था। इसलिए अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। उक्त आज्ञा की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 07.08.2018 को हुई, उक्त आज्ञा की नकल दिनांक 07.08.2018 को सायःकाल प्राप्त हुई। इसके बाद दिनांक 07.09.2018 को अपील पेश की गयी, उक्त अवधि जानकारी के अभाव में लाइल्म होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। उक्त संबंध में प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.59 है0 बारानी उत्तम में से 32 / 47 हिस्सा वाके ग्राम अलवर नं0 1 में स्थित है, जिसकी सीमायें तरफ पूर्व पडत जमीन 30 फूट, तरफ पश्चिम सडक सरकारी 30 फूट चौडी, तरफ उत्तर 60 फूट व तरफ दक्षिण 60 फूट कुल रकबा 200 वर्गगज है। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त आराजी जरिये बयनामा खरीद की गयी थी, जिसका बयनामा दिनांक 12.03.2004 को प्रस्तुत कर दिनांक 13.03.2004 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त भूमि पर बाद खरीद अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा बाद खरीद से ही अपीलांट के पिता श्री श्योचन्द उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक काबिज चले आ रहें थे। अपीलांट के पिता श्री श्योचन्द का देहान्त दिनांक 31.03.2017 को हो गया। बाद देहान्त अपीलांट व उसकी माता किरण देवी के नाम आलोच्य इंतकाल संख्या 2233 दिनांक 05.06.2017 को रैस्पो0 द्वारा तस्दीक किया गया, जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। मृतक श्योचन्द के वारिसान पर पत्नी श्रीमति किरण देवी व अपीलांट नाबालिग पुत्र अविनाश है। अपीलांट अविनाश आलोच्य आज्ञा पारित होने के समय नाबालिग था और आज भी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

नाबालिग है। इसलिए मृतक श्योचन्द के वारिस अपीलांट का नाम आलोच्य इंतकाल में "अविनाश नाबालिग पुत्र श्योचन्द जरिये सरपरस्त माता श्रीमति किरण देवी" दर्ज करना चाहिए था। लेकिन आलोच्य आज्ञा में अपीलांट को बालिग दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलांट की उम्र 16 साल है, जो अभी तक नाबालिग है। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से अपीलांट के अधिकारों पर विपरित असर पडता है। रैस्पो0 द्वारा आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलांट को सूनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 05.06.2017 निरस्त फरमाया जाकर संशोधित कर उक्त आज्ञा में "अविनाश पुत्र श्योचन्द स्वामी" के बजाय "अविनाश पुत्र श्योचन्द जरिये सरपरस्त माता श्रीमति किरण देवी" दर्ज व तस्दीक के लिए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध दिनांक 07.09.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 1 वर्ष 3 माह से अधिक समय विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा श्योचन्द के मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 31.01.2017 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा भी बिना जांच के उक्त अंकन को स्वीकार कर लिया गया। पत्रावली के अवलोकन से अविनाश पुत्र स्व0 श्योचन्द के आधार कार्ड की प्रति, जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका के अनुसार जन्म तिथि 03.08.2002 है, उक्त दिनांक से नामान्तरकरण तस्दीक होने की दिनांक व आदिनांक तक अविनाश पुत्र स्व0 श्योचन्द 18 वर्ष का नहीं हुआ है तथा नाबालिग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2233 को दर्ज करने एवं अमल करने में गलती हुई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को निर्देश दिये जाते है कि नामान्तरकरण संख्या 2233 दिनांक 05.06.2017 वाके ग्राम अलवर नं0 1 के कॉलम नं0 9 में "अविनाश पुत्र श्योचन्द" के स्थान पर "अविनाश नाबालिग पुत्र श्योचन्द जरिये सरपरस्त माता श्रीमति किरण देवी" दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **15–10–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)